फा.सं.जेड-14014/1/2019-जीसी (ई-9315)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 12.09.2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: अगस्त, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का उल्लेख करने और अगस्त, 2019 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(अशोक कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव

भूमि संसाधन विभाग

*****

अगस्त, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलापों का सार

1. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत, अगस्त, 2019 के दौरान 60 परियोजनाओं के पूरा किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिससे पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 171 (4 राज्यों में) हो गई है। यह 2009-10 से 2014-15 के दौरान 28 राज्यों में स्वीकृत कुल 6382 [8214(स्वीकृत)-1832 (राज्यों को हस्तांतरित)] वाटरशेड विकास परियोजनाओं में से है। नीरांचल सहित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत वाटरशेड विकास के लिए इस वित्त वर्ष (अगस्त, 2019 तक) के दौरान राज्यों को 160.26 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
2. विभाग ने नई नीरांचल परियोजना सहित विचाराधीन विश्व बैंक सहायता परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 22.08.2019 को नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। आर्थिक कार्य विभाग ने भूमि संसाधन विभाग से नई नीरांचल परियोजना पर एक अवधारणा दस्तावेज तैयार करने का अनुरोध किया।
3. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मु और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखण्ड राज्यों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की समीक्षा के लिए 30.08.2019 को वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें (क) बैच-I और बैच-II परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति, (ख) 2018-19 और 2019-20 के दौरान डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत किए गए व्यय और उपलब्ध अप्रयुक्त शेष, (ग) अन्य स्कीमों के साथ समामेलन और समामेलन के माध्यम से किए गए व्यय की स्थिति, (घ) लक्ष्य-परिणाम निगरानी सूचकों के तहत उपलब्धियों की स्थिति और (ड.) आईडब्ल्यूएमपी-एमआईएस पर भौतिक प्रगति की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई।
4. विभिन्न राज्यों द्वारा भूमि संसाधन विभाग के लिए जल शक्ति अभियान के तहत विभिन्न उपायों के तहत लगभग 125000 कार्यकलाप किए जा रहे हैं।
5. भूमि के समुदाय स्वामित्व से संबंधित मुद्दों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जमीनी स्तर के मुद्दों का जायजा लेने और प्रगति करने वाले राज्यों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अनुसरण करके डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के आवश्यक उपाय करने के लिए 05 से 06 अगस्त, 2019 को इम्फाल में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की निगरानी और प्रगति की समीक्षा करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
6. 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के संबंध में, विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से राज्य सरकारों/हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित कीं।

*****